

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. 117/202..4...

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>12/3/25</p> <p>16.4.25</p> <p>2 बुकी 25</p>	<p>पत्रावली पत्र द्वारा RO. सा. न्यायाधीशानांतरण हो गया है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.4.25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पत्र द्वारा प्रार्थना एवं उनके अधिकारता उपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल बाढ़ वायीगठा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. भी सॉल्विडेशन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैलसुमार चीकर नंबर से कम होकर शखिल दफ्तर ही।</p>

Identified by pd

UPSG
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर